"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 3, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-83/2017/वाक/पांच(150). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 96 की उप-धारा (1) और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, छत्तीसगढ़ अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन करते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)
1.	राज्य कर आयुक्त छतीसगढ़ द्वारा नामित संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
2.	प्रमुख आयुक्त जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर द्वारा नामित संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर

छतीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-83/2017/वाक/पांच(150). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-83/2017/वाक/पांच(150), दिनांक16-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 16th October 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 83/2017/CT/V (150) - In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section Section 96 the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, and of rule 103 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, State Government, hereby Constitutes Chhattisgarh Authority of Advance Ruling, from the date of issue of this notification and appoints officers mentioned in column (2) of the following table as members of the Authority :-

TABLE

Serial No.	Designation of Officers
(1)	(2)
1.	Joint Commissioner, State Tax Nominated by Commissioner of State Tax Chhattisgarh
2.	Joint Commissioner, Central Tax, Nominated by Principal Commissioner of GST and Central Excise, Raipur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.